(176)

उत्तराखण्ड शासन,
गृह अनुभाग–5
संख्याः 731/XX(5)/11–10(अर्द्ध सै0)/2011
देहरादूनः दिनांक 02 दिसम्बर, 2011

अधिसूचना

उत्तराखण्ड प्रदेश के सेवानिवृत्त अर्द्धसैनिक बलों एवं उनके परिवारों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से महामहिम श्री राज्यपाल महोदया द्वारा नीति–2011 को सम्यक् विचारोपरान्त एतद्द्वारा प्रख्यापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

# प्रदेश के सेवानिवृत्त अर्द्धसैनिक बलों एवं उनके परिवारों को विभिन्न सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की नीति–2011

## विषय सूची

1. प्राक्कथन
2. अध्याय


| | | |
|---|---|---|
| अध्याय–1 | – | वर्तमान स्थिति एवं प्राथमिकताएं |
| अध्याय–2 | – | आर्थिक सहायता |
| अध्याय–3 | – | शिक्षा सहायता |
| अध्याय–4 | – | चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति |
| अध्याय–5 | – | अनुमन्य सुविधाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया |
| अध्याय–6 | – | आय–व्ययक व्यवस्था |


## प्राक्कथन

उत्तराखण्ड राज्य सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। अर्द्धसैनिक संगठन यथा सी0आर0पी0एफ0, सी0आई0एस0एफ0, बी0एस0एफ0, असम राईफल्स, आई0टी0बी0पी0 एवं एस0एस0बी0 आदि में राज्य के अनेक नागरिक विभिन्न पदों एवं प्रदेशों में कार्यरत हैं। प्रदेश के सशस्त्र बलों के सैनिकों की संख्या के समान ही अर्द्धसैनिक बलों के सैनिकों की संख्या लगभग एक लाख से अधिक है जो कि देश की सीमाओं की रक्षा में अपना अमूल्य योगदान/बलिदान दे रहे हैं। सशस्त्र सेनाओं तथा अर्द्धसैनिक बलों से सेवानिवृत्त सैनिकों एवं अधिकारियों की संख्या लगभग 02 लाख 50 हजार से अधिक है। अर्द्धसैनिक बलों के सैनिकों के द्वारा राष्ट्र की सुरक्षा हेतु विभिन्न राज्यों में विषम प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कार्य किया जा रहा है। अर्द्धसैनिक बलों के

सैनिकों का देश की सीमाओं की रक्षा में तैनाती के कारण वे अपने परिजनों को पर्याप्त समय एवं उनकी आवश्यकतानुसार सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से ऐसे अर्द्धसैनिक बलों से सेवानिवृत्त सैनिकों के परिवारों का आर्थिक, शैक्षिक एवं सामाजिक विकास को दृष्टिगत् रखा जाय। इसके अतिरिक्त अर्द्धसैनिक बलों से सेवानिवृत्त होने के पश्चात् उनके योगदान के दृष्टिगत् प्रदेश में कल्याणकारी योजनाएं प्रारम्भ करना अतिआवश्यक है।

## वर्तमान स्थिति एवं प्राथमिकताएं

उत्तराखण्ड राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग डेढ़ प्रतिशत युवा अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत हैं। यदि वर्तमान में अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत एवं अर्द्धसैनिक बलों से सेवानिवृत्त सैनिकों एवं उनके आश्रितों की संख्या को सम्मिलित कर लिया जाय तो वह राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग दस प्रतिशत से अधिक है। अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत राज्य के सैनिकों को अपने परिवारजनों का आर्थिक, शैक्षिक एवं सामाजिक उन्नयन से सम्बन्धित सूदूरवर्ती विषम परिस्थितियों एवं विभिन्न प्रदेशों में कार्यरत रहने के कारण यथासमय उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, जिसके फलस्वरुप राज्य के अर्द्धसैनिकों एवं उनके परिजनों का समुचित विकास नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि प्रदेश के अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत सैनिकों एवं उनके परिवारों के कल्याण हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उनके आर्थिक, शैक्षिक एवं सामाजिक विकास का प्रयास किया जाय इससे न केवल राज्य का आर्थिक विकास होगा बल्कि राष्ट्रीय सशक्तता को अपेक्षाकृत सुदृढ़ आधार भी प्राप्त होगा।

अर्द्धसैनिक संगठनों में अधिवर्षता की आयु सीमा कम होने के कारण सेवानिवृत्ति के पश्चात् इन सैनिकों की कार्य कुशलता का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा अपने विकास सम्बन्धी विभिन्न योजनाओं में किया जा सकता है। अर्द्धसैनिक संगठनों के सैनिकों के द्वारा राष्ट्र की सुरक्षा करते समय अपने परिवारों एवं आश्रितों हेतु पर्याप्त समय एवं सुविधाएं यथासमय नहीं दे पाते हैं। ऐसी स्थिति में राज्य का यह दायित्व है कि प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के

दृष्टिगत् इनके आश्रितों के आर्थिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक सुरक्षा के उन्नयन हेतु राष्ट्रहित में समुचित विकास किया जाना न्यायोचित है। इसके अतिरिक्त सेवानिवृत्ति के उपरान्त इन पूर्व सैनिकों को अनेक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। अर्द्धसैनिक बलों से अधिवर्षता ग्रहण करने के उपरान्त सैनिक जब अपने गांव एवं जनपद वापस आते हैं तब उनकी आयु अन्य सेवाओं के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से अधिक हो जाती है। तत्समय इन्हें नये उत्साह, सहयोग एवं आर्थिक निर्भरता की आवश्यकता होती है। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से पूर्व अर्द्धसैनिक बलों से सेवानिवृत्त सैनिकों में उत्साह की भावना उत्पन्न करते हुए राज्य के विकास में इनकी सहभागिता एवं सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

## आर्थिक सहायता

1. अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत सैनिकों के किसी जंगी कार्यवाही, आतंकवादी मुठभेड़, माओवादी गतिविधियों, कानून व्यवस्था, सीमा सुरक्षा, निर्वाचन कार्य एवं आपदा के दौरान शहीद हुए अर्द्धसैनिक बलों के सैनिकों के परिवारों को एकमुश्त अनुग्रह अनुदान रुपये पांच लाख (सभी रैंक के अधिकारियों/सैनिकों को समान रूप से) दिया जायेगा। (उक्त अनुग्रह धनराशि रू0 पांच लाख, क्रमशः आश्रित विधवाओं/ आश्रित संतानों को रूपये तीन लाख एवं आश्रित माता–पिता को रूपये दो लाख दिये जायेंगे)।
2. अर्द्धसैनिक बलों से अपंगता के कारण सैनिक के सेवानिवृत्त होने पर एकमुश्त अनुग्रह अनुदान रु0 दो लाख सभी रैंक के अधिकारियों/सैनिकों को समान रूप से दिया जायेगा।
3. अर्द्धसैनिक बलों के सैनिकों का किसी जंगी कार्यवाही, आतंकवादी मुठभेड़, माओवादी गतिविधियों, कानून व्यवस्था, सीमा सुरक्षा, निर्वाचन कार्य एवं आपदा के दौरान शहीद होने पर उनकी अविवाहित पुत्री जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो, के विवाह हेतु राज्य सरकार द्वारा एक मुश्त रू0 50,000/– की आर्थिक सहायता सभी रैंक के अधिकारियों/सैनिकों

को समान रूप से दी जायेगी। उक्त आर्थिक सहायता सम्बन्धित अविवाहित पुत्री के नाम से राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा की जायेगी।

4. अर्द्धसैनिक बलों से सेवानिवृत्त किसी सैनिक द्वारा यदि वह इस राज्य में कोई व्यवसाय प्रारम्भ करना चाहता है तो उसे किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से ऋण की कुल अधिकतम धनराशि रु0 दस लाख पर वार्षिक ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट, जिसकी अधिकतम सीमा 5 प्रतिशत से अनधिक होगी, केवल पांच वर्ष तक अनुमन्य की जायेगी, जो कि राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

## शैक्षिक सहायता

1. अर्द्धसैनिक बलों के सैनिकों के किसी जंगी कार्यवाही, आतंकवादी मुठभेड़, माओवादी गतिविधियों, कानून व्यवस्था, सीमा सुरक्षा, निर्वाचन कार्य एवं आपदा के दौरान शहीद हुए सैनिकों एवं सैनिकों के अपंगता के कारण सेवामुक्त होने पर इनके बच्चों को निम्न शिक्षा अनुदान अनुमन्य किया जायेगाः–

   (अ) प्राथमिक/अपर प्राथमिक स्तर तक रू0 500/–प्रतिमाह (केवल दो बच्चों हेतु अनुमन्य)

   (ब) कक्षा 9 से स्नातकोत्तर स्तर तक रू0 1000/–प्रतिमाह (केवल दो बच्चों हेतु अनुमन्य)

   (स) तकनीकी पाठ्यक्रम, जिसमें इंजीनियरिंग/मेडिकल/डिप्लोमा आदि पाठ्यक्रम सम्मिलित हैं, के लिए रू0 2000/– प्रतिमाह (अधिकतम 5 वर्ष तक केवल दो बच्चों हेतु अनुमन्य होगी।)

2. अर्द्धसैनिक बलों से सेवानिवृत्त सैनिकों के तकनीकी कुशलता विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राजकीय तकनीकी संस्थाओं में किसी भी तकनीकी पाठ्यक्रम में नामांकन कराये जाने पर राज्य सरकार द्वारा एकमुश्त धनराशि रू0 10,000/– अनुमन्य होगी, जो राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

## चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति

1. अर्द्धसैनिक बलों के सैनिकों के किसी जंगी कार्यवाही, आतंकवादी मुठभेड़, माओवादी गतिविधियों, कानून व्यवस्था, सीमा सुरक्षा, निर्वाचन कार्य एवं आपदा के दौरान शहीद हुए सैनिक एवं सेवामुक्त अपंग सैनिकों पर आश्रित उनके माता–पिता को जीवनकाल में एक बार एकमुश्त रु0 10,000/– चिकित्सीय अनुदान (नेत्र सम्बन्धी विकार यथा चश्मा उपलब्ध कराया जाना, दन्त सम्बन्धी रोगों के उपचार एवं श्रवण यन्त्र के क्रय आदि के लिए) अनुमन्य किया जायेगा।

## अनुमन्य सुविधाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया

1. अर्द्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त सैनिकों को प्रदान की जाने वाली समस्त सुविधाएं केवल उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासियों को ही अनुमन्य होगी।
2. उक्त नीति का कार्यान्वयन दिनांक 09.11.2011 से किया जायेगा।
3. अर्द्धसैनिक बलों तथा उनके परिवारों को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी हेतु नीति का प्रकाशन राष्ट्रीय समाचार पत्रों तथा शासकीय वेब–साइट के माध्यम से किया जायेगा। आवेदक को अपना प्रार्थना पत्र सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी को पुष्टिकारक आवश्यक अभिलेखों सहित उपलब्ध कराना होगा। सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा आवेदक के आवेदन पत्र को एक माह के अन्दर जांच/सत्यापन कर शासन को अनुमन्य सुविधा की संस्तुति सहित प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा।
4. जिलाधिकारी से प्राप्त प्रस्ताव का शासन में परीक्षण कर एक माह में निर्णय से सम्बन्धित जिलाधिकारी को अवगत करा दिया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा तद्नुसार आवेदक को अवगत कराया जायेगा।
5. उक्त नीति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समय–समय पर इसमें संशोधन एवं परिवर्द्धन की आवश्यकता होगी तथा तात्कालिक समस्याओं की जटिलता के दृष्टिगत् इसमें संशोधन भी आवश्यक होंगे, ऐसी स्थिति में प्रस्तावित नीति में समय–समय पर संशोधन एवं अन्य

सुविधाओं के परिवर्द्धन हेतु राज्य सरकार द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में निम्नवत् रिव्यू कमेटी गठित की जायेगी:–

अध्यक्ष– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, पदेन।
उपाध्यक्ष– प्रमुख सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन, पदेन।
सदस्य– प्रमुख सचिव, सैनिक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, पदेन।
सदस्य– अपर सचिव, वित्त विभाग, पदेन।
सदस्य– निदेशक, सैनिक कल्याण बोर्ड, उत्तराखण्ड, पदेन।
सदस्य– जिलाधिकारी या उनके द्वारा नामित सदस्य, पदेन।
सदस्य– शासन द्वारा नामित दो सेवानिवृत्त अर्द्धसैनिक ।
सदस्य सचिव– अपर सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन।

रिव्यू कमेटी की बैठक प्रत्येक छः माह में आयोजित की जायेगी, जिसमें अर्द्धसैनिक बलों से सेवानिवृत्त सैनिकों को यथावश्यक सुविधाएं प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय पर उक्त समिति अपनी संस्तुति उपलब्ध करायेगी। रिव्यू कमेटी की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा यथोचित निर्णय लिया जायेगा।

## आय–व्ययक व्यवस्था

उक्त नीति के क्रियान्वयन हेतु धनराशि की आवश्यकता होगी इस हेतु राज्य सरकार द्वारा आगामी आय–व्ययक में नई मांग के माध्यम से व्यवस्था की जायेगी जिससे उक्त कार्यों पर होने वाले व्यय आदि को वहन किया जायेगा।

(उत्पल कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव गृह,
उत्तराखण्ड शासन